<u>**अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान**</u>

(हिंदी अनुभाग)

अंसारी नगर, नई दिल्ली-29.

फा.सं.7-1/2023-हिं.अ. दिनांक: 25.04.2024

विषय: अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की दिनांक 22.03.2024 को हुई जनवरी-मार्च, 2024 अवधि की बैठक का कार्यवृत्त।

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की दिनांक 22.03.2024 को प्रात: 10.00 बजे, डॉ. रामालिंगास्वामी सभागार में अपर निदेशक (प्रशासन) महोदय की अध्यक्षता में आयोजित हुई जनवरी-मार्च, 2024 अवधि की बैठक का कार्यवृत्त सूचना/आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है।

संस्थान के सभी संबद्ध विभागों/अनुभागों/केंद्रों से अनुरोध है कि उक्त बैठक में लिए गए निर्णयों की अनुपालना सुनिश्चित की जाए और इस संबंध में की गई कार्रवाई की सूचना हिंदी अनुभाग को भी दी जाए।

यह कार्यवृत्त निदेशक एवं अध्यक्ष, राजभाषा कार्यान्वयन समिति, एम्स महोदय के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

25/04/2024

25/4/2024

(अनिता राय सक्सेना)
हिंदी अधिकारी एवं
सदस्य-सचिव

<u>**वितरण:**</u>

1. राजभाषा कार्यान्वयन समिति, एम्स, नई दिल्ली के सभी सदस्यगण।
2. तिमाही प्रगति रिपोर्ट प्रेषितकर्ता सभी 35 अनुभाग/केंद्र।

<u>**प्रतिलिपि:**</u>

- निदेशक एवं अध्यक्ष, राजभाषा कार्यान्वयन समिति, एम्स महोदय के निजी सचिव, एम्स, नई दिल्ली।
- संकायाध्यक्ष (शैक्षिक) एवं उपाध्यक्ष, राजभाषा कार्यान्वयन समिति, एम्स महोदय के निजी सचिव।
- अपर निदेशक (प्रशा.)/वरिष्ठ वित्त सलाहकार एवं राजभाषा अधिकारी महोदया के निजी सचिव।
- उप-सचिव/मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/वित्त सलाहकार/अधीक्षण अभियंता महोदय के निजी सचिव।
- उप-निदेशक (राजभाषा), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली-11.
- उप-निदेशक (कार्यान्वयन), उत्तरी क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय-I (दिल्ली), त्रिकुट-II, तीसरी मंजिल भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली-110066.
- प्रभारी आचार्य (कंप्यूटर सुविधा) - कृपया इसे एम्स की वेबसाइट पर अपलोड करवाने की कृपा करें।

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की दिनांक 22.03.2024 को जनवरी-मार्च, 2024 अवधि की आयोजित हुई बैठक का कार्यवृत्त।

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की जनवरी-मार्च, 2024 अवधि की एक बैठक दिनांक 22.03.2024 को प्रातः 10.00 बजे, डॉ. रामालिंगास्वामी सभागार में श्री कर्ण सिंह, अपर निदेशक (प्रशासन), एम्स, नई दिल्ली महोदय की अध्यक्षता में आयोजित हुई। इस बैठक में संस्थान की राजभाषा कार्यान्वयन समिति के निम्नलिखित सदस्यों/अधिकारीगण ने भाग लिया:-

1.	श्री कर्ण सिंह, अपर निदेशक (प्रशासन), एम्स, नई दिल्ली	अध्यक्ष
2.	डॉ. निरुपम मदान, चिकित्सा अधीक्षक, एम्स, नई दिल्ली	सदस्य
3.	सुश्री दिव्या यानामदाला, वरिष्ठ वित्त सलाहकार एवं राजभाषा अधिकारी, एम्स, नई दिल्ली	सदस्य
4.	डॉ. प्रकाश कुमार, सहायक निदेशक (राजभाषा), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय	सदस्य
5.	श्री दीपक भुटाले, अधीक्षण अभियंता, एम्स, नई दिल्ली	सदस्य
6.	श्रीमती अनिता टेटे, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, स्थापना अनुभाग (नि.का.) एवं ए.सी.आर. प्रकोष्ठ, एम्स, नई दिल्ली	सदस्य
7.	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, संकाय प्रकोष्ठ के प्रतिनिधि:- श्री राम सूरत, सहायक प्रशासनिक अधिकारी, एम्स, नई दिल्ली	सदस्य
8.	श्री अनिल कुमार, प्रशासनिक अधिकारी, ई.एच.एस. एवं आर.टी.आई. प्रकोष्ठ एम्स, नई दिल्ली	सदस्य
9.	श्री कमल भट्ट, प्रशासनिक अधिकारी (भर्ती), एम्स, नई दिल्ली	सदस्य
10.	श्रीमती सरोज लाल, प्रशासनिक अधिकारी, एस.सी./एस.टी./ओ.बी.सी. प्रकोष्ठ एवं समन्वय प्रकोष्ठ, एम्स, नई दिल्ली	सदस्य

11.	लेखा अधिकारी, सामान्य भविष्य निधि अनुभाग की प्रतिनिधि:- सुश्री रक्षा, कनिष्ठ लेखा अधिकारी एम्स, नई दिल्ली	सदस्य
12.	श्री शिवानंद ठाकुर, लेखा अधिकारी, प्री-ऑडिट एवं ऑडिट अनुभाग, एम्स, नई दिल्ली	सदस्य
13.	श्री नगेन्द्र सिंह, सहायक लेखा अधिकारी, एम.एस.यू., एम्स, नई दिल्ली	सदस्य
14.	लेखा अधिकारी, एम.एस.यू. के प्रतिनिधि:- श्री सुशील कुमार, सहायक लेखा अधिकारी, एम्स, नई दिल्ली	सदस्य
15.	मुख्य सुरक्षा अधिकारी के प्रतिनिधि:- श्री रोशन लाल भाटी, सहायक सुरक्षा अधिकारी, एम्स, नई दिल्ली	सदस्य
16.	श्री महेन्द्र कुमार विश्वकर्मा, प्रभारी-अधिकारी, बी.बी. दीक्षित पुस्तकालय, एम्स, नई दिल्ली	सदस्य
17.	प्रभारी-आचार्य, जनसंपर्क प्रभाग के प्रतिनिधि:- श्री भरपूर मेहरा, रिसेप्शनिस्ट, एम्स, नई दिल्ली	सदस्य
18.	प्रभारी-आचार्य (कंप्यूटर सुविधा) के प्रतिनिधि:- श्री पवन शर्मा, वरिष्ठ प्रोग्रामर, एम्स, नई दिल्ली	सदस्य
19.	सहायक परीक्षा नियंत्रक, परीक्षा अनुभाग के प्रतिनिधि:- श्री जितेन्द्र कुमार बहल, सहायक प्रशासनिक अधिकारी, एम्स, नई दिल्ली	सदस्य
20.	प्रशासनिक अधिकारी, सामान्य अनुभाग की प्रतिनिधि:- सुश्री कमला भाकुनी, कनिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, एम्स, नई दिल्ली	सदस्य
21.	प्रशासनिक अधिकारी, (अस्पताल) के प्रतिनिधि:- श्री रविन्द्र, सहायक प्रशासनिक अधिकारी, एम्स, नई दिल्ली	सदस्य
22.	प्रशासनिक अधिकारी, डॉ. रा.प्र. केंद्र, के प्रतिनिधि:- श्री महेन्द्र पाल सिंह, सहायक प्रशासनिक अधिकारी, एम्स, नई दिल्ली	सदस्य
23.	श्री ज्ञान चंद, प्रशासनिक अधिकारी, हृद् तंत्रिका केंद्र, एम्स, नई दिल्ली	सदस्य
24.	श्री अशोक कुमार, प्रशासनिक अधिकारी, डॉ. भी.रा.अं.सं.रो.कैं.अ., एम्स, नई दिल्ली	सदस्य

25.	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, दंत शिक्षा एवं अनुसंधान केंद्र की प्रतिनिधि:- सुश्री सीमा बंसल, कनिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, एम्स, नई दिल्ली	सदस्य
26.	प्रशासनिक अधिकारी, जे.पी.एन.ए. ट्रॉमा केंद्र के प्रतिनिधि:- श्री राजेन्द्र शर्मा, कनिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, एम्स, नई दिल्ली	सदस्य
27.	श्री महेश कुमार, सहायक प्रशासनिक अधिकारी, राष्ट्रीय औषध निर्भरता उपचार केंद्र, गाजियाबाद एम्स, नई दिल्ली	सदस्य
28.	श्री सोहनबीर, प्रशासनिक अधिकारी, राष्ट्रीय कैंसर संस्थान, झज्जर, एम्स, नई दिल्ली	सदस्य
29.	श्रीमती अनिता राय सक्सेना, हिंदी अधिकारी, एम्स, नई दिल्ली	सदस्य-सचिव
30.	श्री प्रमोद कुमार, हिंदी अधिकारी, एम्स, नई दिल्ली	समिति सहयोगी

माननीय निदेशक महोदय एक अन्य अति महत्वपूर्ण बैठक में व्यस्त होने के कारण इस बैठक में उपस्थित नहीं हो सके। अन्य सदस्यों/अधिकारियों की ओर से बैठक में अनुपस्थित रहने संबंधी कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई।

मद सं. 1 <u>पिछली बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि संबंधी।</u>

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की पिछली बैठक के कार्यवृत्त की माननीय अपर निदेशक (प्रशासन) एवं अध्यक्ष महोदय द्वारा यथावत पुष्टि की गई।

कार्रवाई - हिंदी अनुभाग

मद सं. 2 <u>संस्थान में हिंदी टंकण/आशुलिपि प्रशिक्षण प्रदान करने संबंधी।</u>

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में सदस्य-सचिव ने समिति को अवगत कराया कि भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा जारी दिशा-निदेशों के अनुपालन में संस्थान के नियमित कनिष्ठ प्रशासनिक सहायकों/डाटा एंट्री ऑपरेटरों/आशुलिपिकों आदि को हिंदी टंकण/आशुलिपि के अनिवार्य प्रशिक्षण हेतु नियमित रूप से नामित किया जाता है। सदस्य-सचिव द्वारा समिति को यह भी सूचित किया गया कि फरवरी 2024 से प्रारंभ हुए हिंदी आशुलिपि/टंकण प्रशिक्षण की ऑफलाइन प्रशिक्षण कक्षाओं में वर्तमान में संस्थान के कुल 11 कर्मचारीगण हिंदी टंकण का तथा 05 आशुलिपिक हिंदी आशुलिपि का प्रशिक्षण आर.के.पुरम स्थित प्रशिक्षण केंद्र में प्राप्त कर रहे हैं।

इस विषय पर विस्तृत विचार-विमर्श के उपरान्त समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि हिंदी टंकण/आशुलिपि प्रशिक्षण के आगामी ऑफलाइन प्रशिक्षण सत्रों में भी संस्थान के कर्मचारियों का

नियमानुसार नामांकन सुनिश्चित किया जाए। माननीय अपर निदेशक(प्रशासन) एवं अध्यक्ष महोदय ने समिति के इस निर्णय को अपना अनुमोदन प्रदान किया।

कार्रवाई - सभी विभाग/अनुभाग/केंद्र/हिंदी अनुभाग

मद सं. 3 **संस्थान में कनिष्ठ हिंदी अनुवादक की तैनाती करने संबंधी।**

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में सदस्य-सचिव ने समिति को सूचित किया कि पिछली बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि भर्ती प्रकोष्ठ द्वारा कनिष्ठ हिंदी अनुवादक के रिक्त स्थायी पदों हेतु चयनित 02 उम्मीदवारों को हिंदी अनुभाग में तैनात करने हेतु आवश्यक कार्रवाई अतिशीघ्र पूर्ण की जाए। सदस्य-सचिव द्वारा समिति को यह भी सूचित किया गया कि इस संबंध में प्रशासनिक अधिकारी (भर्ती) महोदय को अपेक्षित कार्रवाई सुनिश्चित करने हेतु दिनांक 02.02.2024 एवं 18.03.2024 को ई-ऑफिस द्वारा पत्र भेजे गए थे परन्तु अभी तक भर्ती प्रकोष्ठ द्वारा इस संबंध में कोई सूचना प्रदान नहीं की गई है।

अध्यक्ष महोदय द्वारा पूछे जाने पर प्रशासनिक अधिकारी (भर्ती) द्वारा माननीय समिति को सूचित किया गया है कि कनिष्ठ हिंदी अनुवादक के रिक्त स्थायी पदों हेतु चयनित 02 उम्मीदवारों में से एक उम्मीदवार ने हिंदी अनुभाग में पदभार ग्रहण कर लिया है और दूसरे उम्मीदवार ने अन्यत्र चयन हो जाने के कारण संस्थान में कनिष्ठ हिंदी अनुवादक के पद पर पदभार ग्रहण करने से मना कर दिया है। प्रशासनिक अधिकारी (भर्ती) द्वारा माननीय समिति को यह भी सूचित किया गया है कि परीक्षा अनुभाग द्वारा संस्थान में कनिष्ठ हिंदी अनुवादकों की भर्ती हेतु तैयार प्रतीक्षा सूची में से अगले उम्मीदवार को संस्थान में कनिष्ठ हिंदी अनुवादक के पद पर पदभार ग्रहण करने हेतु भर्ती प्रकोष्ठ द्वारा पत्र भेजा जाएगा जिसमें थोड़ा समय लग सकता है।

उपर्युक्त के विषय में, समिति द्वारा विस्तृत विचार-विमर्श के उपरान्त माननीय अपर निदेशक (प्रशासन) एवं अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रशासनिक अधिकारी (भर्ती) को आदेश दिया गया कि भर्ती प्रकोष्ठ द्वारा कनिष्ठ हिंदी अनुवादक के रिक्त स्थायी पद हेतु चयनित उम्मीदवारों को हिंदी अनुभाग में तैनात करने हेतु आवश्यक कार्रवाई अतिशीघ्र पूर्ण की जाए।

कार्रवाई - प्रशासनिक अधिकारी (भर्ती)

मद सं. 4 **संस्थान में राजभाषा पदों के पदनाम में संशोधन संबंधी।**

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में सदस्य-सचिव ने समिति को सूचित किया कि समिति की पिछली कई बैठकों में लिए गए निर्णय के अनुपालन में संस्थान में कनिष्ठ हिंदी अनुवादक और वरिष्ठ हिंदी अनुवादक के पदनामों को क्रमश: कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी और वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी के रूप में परिवर्तित करने के संबंध में भर्ती प्रकोष्ठ द्वारा आवश्यक कार्रवाई की जानी अपेक्षित है।

अध्यक्ष महोदय द्वारा पूछे जाने पर प्रशासन अधिकारी (भर्ती) महोदय द्वारा माननीय समिति को सूचित किया गया कि संस्थान में कनिष्ठ हिंदी अनुवादक और वरिष्ठ हिंदी अनुवादक के पदनामों को क्रमश: कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी और वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी के रूप में परिवर्तित करने के संबंध में भर्ती प्रकोष्ठ द्वारा आवश्यक कार्रवाई पूर्ण कर दी गई है और तत्संबंधी आदेश

संस्थान की वेबसाइट पर भी अपलोड कर दिए गए हैं। माननीय अपर निदेशक (प्रशासन) एवं अध्यक्ष महोदय ने इस पर संतोष व्यक्त किया और इसे अपना अनुमोदन प्रदान किया।

कार्रवाई - प्रशासनिक अधिकारी, भर्ती प्रकोष्ठ

मद सं. 5 <u>संस्थान की वेबसाइट द्विभाषी होने संबंधी।</u>

उपर्युक्त के संबंध में सदस्य-सचिव ने समिति को सूचित किया कि भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्य के अनुसार संस्थान की वेबसाइट द्विभाषी रूप में होनी चाहिए। सदस्य-सचिव ने समिति को यह भी सूचित किया कि समिति की पिछली बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि कंप्यूटर सुविधा द्वारा एम्स की वेबसाइट पर केवल द्विभाषी रूप में ही प्रत्येक कागजात को अपलोड किया जाए।

समिति द्वारा पूछे जाने पर कंप्यूटर सुविधा के प्रतिनिधि श्री पवन शर्मा, वरिष्ठ प्रोग्रामर, द्वारा सूचित किया गया कि कंप्यूटर सुविधा द्वारा एम्स की वेबसाइट पर केवल द्विभाषी रूप में ही कागजात को अपलोड किया जाता है लेकिन कभी-कभी संबद्ध विभाग/अनुभाग/केंद्र द्वारा अति-तत्काल प्रकृति के कागजात, जोकि केवल अंग्रेजी में ही होते हैं, उन्हें उसी दिन संस्थान की वेबसाइट पर अपलोड करने का दबाव कंप्यूटर सुविधा पर होता है।

श्री पवन शर्मा, वरिष्ठ प्रोग्रामर ने माननीय समिति को यह अनुरोध किया कि एम्स की वेबसाइट पर प्रत्येक कागजात को अपलोड करवाने से पहले संस्थान के संबद्ध विभाग/अनुभाग/केंद्र द्वारा हिंदी अनुभाग से पहले तत्संबंधी कागजात का हिंदी रूपांतर करवाया जाए और इसके बाद ही संबद्ध विभाग/अनुभाग/केंद्र के अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित कागजात को केवल द्विभाषी रूप में एम्स की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु कंप्यूटर सुविधा को भेजा जाए जिसके लिए हिंदी अनुभाग द्वारा भी इस संबंध में सभी विभागों/अनुभागों/केंद्रों की सूचना हेतु एक परिपत्र जारी किया जाए।

इस विषय पर विस्तृत विचार-विमर्श के उपरांत समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि कंप्यूटर सुविधा द्वारा एम्स की वेबसाइट पर केवल द्विभाषी रूप में ही प्रत्येक कागजात को अपलोड किया जाए और हिंदी अनुभाग द्वारा इस संबंध में सभी विभागों/अनुभागों/केंद्रों की सूचना हेतु एक परिपत्र जारी किया जाए। माननीय माननीय अपर निदेशक (प्रशासन) एवं अध्यक्ष महोदय ने महोदय ने समिति के इस निर्णय को अपना अनुमोदन प्रदान किया।

कार्रवाई - कम्प्यूटर सुविधा/हिंदी अनुभाग

मद सं. 6 <u>बी.बी. दीक्षित पुस्तकालय द्वारा हिंदी पुस्तकों की खरीद संबंधी।</u>

सदस्य-सचिव ने समिति को सूचित किया कि भारत सरकार गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्य के अनुसार बी.बी. दीक्षित पुस्तकालय द्वारा पुस्तकों की कुल खरीद का 50% बजट हिंदी की पुस्तकों की खरीद पर व्यय करना अपेक्षित है।

समिति द्वारा पूछे जाने पर पुस्तकालय के प्रतिनिधि द्वारा सूचित किया गया कि सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से बी.बी. दीक्षित पुस्तकालय द्वारा वित्त वर्ष 2024-25 के लिए हिंदी पुस्तकों की खरीद की प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी गई है और सभी विभागों से हिंदी पुस्तकों की खरीद

हेतु सूची आंमत्रित करने संबंधी पत्र एम्स की वेबसाइट पर अपलोड़ कर दिया गया है ओर ई-ऑफिस के माध्यम से भी सभी विभागाध्यक्ष को पत्र भेज दिया गया है

इस विषय पर विस्तृत विचार-विमर्श के उपरांत समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि बी.बी. दीक्षित पुस्तकालय द्वारा वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्य के अनुसार वर्ष 2024-25 के लिए भी हिंदी पुस्तकों की खरीद की जाए । माननीय अपर निदेशक (प्रशासन) एवं अध्यक्ष महोदय द्वारा समिति के उपर्युक्त निर्णय को अपना अनुमोदन प्रदान किया गया।

कार्रवाई - बी.बी. दीक्षित पुस्तकालय

मद सं. 7 संस्थान में हिंदी पदों का सृजन संबंधी।

सदस्य-सचिव ने समिति को सूचित किया कि पिछली बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि संस्थान द्वारा माननीय संसदीय राजभाषा समिति को दिए गए आश्वासन को पूरा करने के लिए हिंदी के पदों के सृजन संबंधी मामलों को अन्य कैडर के मामलों से अलग मानते हुए पदों के सृजन की कार्रवाई अलग से की जाए ताकि माननीय संसदीय समिति को दिया गया आश्वासन पूर्ण हो सके।

अध्यक्ष महोदय द्वारा पूछे जाने पर प्रशासन अधिकारी (भर्ती प्रकोष्ठ) द्वारा समिति को सूचित किया गया कि हिंदी पदों के सृजन संबंधी प्रस्ताव पर संस्थान की आंतरिक कैडर रिव्यू समिति की सिफारिशों को एस.एफ.सी. एवं जी.बी. की स्वीकृति के बाद दिनांक 23.03.2023 को स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुमोदन के लिए भेज दिया गया है। इस विषय में प्रशासन अधिकारी (भर्ती प्रकोष्ठ) द्वारा यह भी सूचित किया गया है कि स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा कैडर समीक्षा की सिफारिशों के संबंध में चर्चा करने के लिए एक समिति का गठन किया जा चुका है।

इस विषय पर विस्तृत विचार-विमर्श के उपरांत समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि संस्थान द्वारा माननीय संसदीय राजभाषा समिति को दिए गए आश्वासन को पूरा करने के लिए हिंदी के पदों के सृजन संबंधी मामले पर अतिशीघ्र कार्रवाई की जाए। माननीय अपर निदेशक (प्रशासन) एवं अध्यक्ष महोदय द्वारा समिति के उपर्युक्त निर्णय को अपना अनुमोदन प्रदान किया गया।

कार्रवाई - भर्ती प्रकोष्ठ

मद सं. 8 तिमाही रिपोर्ट प्रेषितकर्ता केंद्रों/अनुभागों से प्राप्त तिमाही प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा करने संबंधी।

उपर्युक्त विषय के सदंर्भ में सदस्य-सचिव ने समिति को अवगत कराया कि भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा हिंदी में पत्राचार का लक्ष्य 100 प्रतिशत निर्धारित किया गया है, लेकिन दिनांक 31 दिसम्बर, 2023 को समाप्त तिमाही के दौरान संस्थान का हिंदी पत्राचार 70.62% ही है।

सदस्य-सचिव ने समिति को यह भी सूचित किया कि समिति की पिछली बैठक में लिए गए निर्णय के अनुपालन में हिंदी में मूल पत्राचार में अपेक्षानुसार और वृद्धि करने हेतु हिंदी अनुभाग द्वारा तिमाही प्रगति रिपोर्ट प्रेषितकर्ता सभी 35 अनुभागों/केंद्रों से व्यक्तिगत रूप से संपर्क करके

उनका मार्गदर्शन किया गया और दिनांक 14.03.2024 को संस्थान के कनिष्ठ प्रशासनिक सहायकों के लिए हिंदी कार्यशालाओं का आयोजन भी किया गया।

सदस्य-सचिव ने समिति को यह भी सूचित किया कि समिति की पिछली बैठक में लिए गए निर्णय के अनुपालन में संस्थान के तिमाही प्रगति रिपोर्ट प्रेषितकर्ता सभी 35 अनुभागों/केंद्रों को हिंदी में मूल पत्राचार आदि संबंधी आंकड़ों में और वृद्धि करने हेतु दिनांक 23.02.2024 को वरिष्ठ वित्त सलाहकार एवं राजभाषा अधिकारी महोदया की ओर से एक परिपत्र जारी किया गया जिसमें हिंदी में मूल पत्राचार में अपेक्षानुसार और वृद्धि करने हेतु उठाए जाने वाले आवश्यक उपायों की जानकारी दी गई।

तिमाही प्रगति रिपोर्ट पर चर्चा के दौरान बोलते हुए माननीय अपर निदेशक (प्रशासन) महोदय ने कहा कि तिमाही प्रगति रिपोर्ट प्रेषितकर्ता सभी 35 अनुभागों/केंद्रों द्वारा राजभाषा विभाग द्वारा हिंदी में पत्राचार हेतु निर्धारित 100% लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु विशेष प्रयास किए जाएं तथा जिन अनुभागों/केंद्रों द्वारा हिंदी में सबसे अधिक सरकारी कामकाज किया जाए, उन्हें हिंदी अनुभाग द्वारा शील्ड एवं प्रमाणपत्र से सम्मानित किया जाए ताकि तिमाही प्रगति रिपोर्ट प्रेषितकर्ता अन्य सभी अनुभागों/केंद्रों को भी हिंदी में काम करने हेतु प्रोत्साहन मिले। इसके साथ-साथ हिंदी अनुभाग द्वारा संस्थान के विभिन्न वर्गों के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए हिंदी कार्यशालाओं का नियमित रूप से आयोजन भी किया जाए।

तिमाही प्रगति रिपोर्ट पर विस्तृत समीक्षा के उपरांत समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि संस्थान के तिमाही प्रगति रिपोर्ट प्रेषितकर्ता सभी 35 अनुभागों/केंद्रों द्वारा भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा हिंदी में पत्राचार हेतु निर्धारित 100% लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु हिंदी में मूल पत्राचार में अपेक्षानुसार और वृद्धि करने हेतु विशेष प्रयास किए जाएं और जिन अनुभागों/केंद्रों द्वारा हिंदी में सबसे अधिक कार्य किया जाए, उन्हें शील्ड एवं प्रमाणपत्र आदि से सम्मानित किया जाए। समिति द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि हिंदी अनुभाग द्वारा नियमित अंतराल पर हिंदी कार्यशालाओं का आयोजन भी किया जाए। माननीय अपर निदेशक (प्रशासन) एवं अध्यक्ष महोदय ने समिति के उपर्युक्त निर्णयों को अपना अनुमोदन प्रदान किया।

कार्रवाई - तिमाही प्रगति रिपोर्ट प्रेषितकर्ता सभी 35 अनुभाग/केंद्र/हिंदी अनुभाग

माननीय अपर निदेशक (प्रशासन) एवं अध्यक्ष महोदय तथा अन्य अधिकारीगण को धन्यवाद के पश्चात बैठक सम्पन्न हुई।

25/04/2024

25/04/2024